महाराष्ट्र शासन

# विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४१६ ००३

E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३१)२५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स क्र. : (०२३१) २५३५४००

जा.क्र.विससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/इस्लांपूर/ 8083-8173 दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१२

प्रति,
मा. प्राचार्य
आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )
ता. पलूस जि. सांगली

विषय :- विषयनिहाय शिक्षक पदांना मंजुरी देणेबाबत . . . .
(शैक्षणिक वर्ष २०१२ - २०१३ )

संदर्भ :- अ) शासन निर्णय

१. क.युएससी/११७८/२५२५१/रोमन-३२सेल दि.१९/६/१९७८.
२. क.एनजीसी/१२८६/१२२४ युजिफ-४ दि.२७/२/१९८९
३. क.एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७ युलिफ-२ दि.१/६/१९९१
४. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
५. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
६. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
७. क.एनजीसी/१२९८/४६१९ युएनआय-४ दि.११/१२/१९९९९
८. क.एनजीसी/१२०१/११८१५/३८/०१ विशी-४ दि.१८/१०/२००१
९. क.युएसजी/१२०१/१८२-०१/विशी-४ दि.३/५/२००३

ब) संचालनालयाकडील पत्र

१. क.एनजीसी/१०८१/११४५७/रोमन-५ अ दि.२८/९/१९८३
२. क.एनजीसी/१९९१/१६००९/कार्यभार-९ अ (म) दि.१९/१०/१९९१
३. क.एनजीसी/१९९४/५८३०२/कार्यभार-९ अ दि.१९/४/१९९५
४. क.एनजीसी/१०९३/५९१६/मणि-३ दि.१९/६/१९९५.-
५. क्र. विशिससं/उशि/कोवि/६९३२-७०६२ दि ११ नोव्हेंबर २०११

आपले पत्र क्रमांक /१२-१३ दि.२६/११/२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकडया, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे, असे गृहित धरुन पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अनुदानीत तुकड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | मंजूर तुकड्यांची संख्या | | | | विद्यार्थी संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुदानीत | पैकी चालू तुकड्या | विनाअनु. तुकड्या | एकूण | अनुदानीत | विनाअनु. | एकूण |
| बी.ए. -१ | ०२ | ०२ | ०० | ०२ | १५५ | ०० | १५५ |
| बी.ए. -२ | ०२ | ०१ | ०० | ०१ | ८१ | ०० | ८१ |
| बी.ए. -३ | ०२ | ०१ | ०० | ०१ | ९३ | ०० | ९३ |
| एकूण | ०६ | ०४ | ०० | ०४ | ३२९ | ०० | ३२९ |
| बी.कॉम -१ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ८५ | ०० | ८५ |
| बी.कॉम -२ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ६० | ०० | ६० |
| बी.कॉम -३ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ६७ | ०० | ६७ |
| एकूण | ०३ | ०३ | ०० | ०३ | २१२ | ०० | २१२ |
| बी.एस्सी. -१ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | १३१ | ०० | १३१ |
| बी.एस्सी. -२ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ५५ | ०० | ५५ |
| बी.एस्सी. -३ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ७१ | ०० | ७१ |
| एकूण | ०३ | ०३ | ०० | ०३ | २५७ | ०० | २५७ |
| एकतित्र एकूण | १२ | १० | ०० | १० | ७९८ | ०० | ७९८ |

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनाकडील पत्रे आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहीत केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमूद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयास खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ.नं. | विषय | १९९९-२००० नुसार मूळ मंजूर पदे | सध्याचा कार्यभार | कार्यभारा नुसार मंजूर पदांची संख्या | सध्या कार्यरत शिक्षकांची संख्या | [illegible] नुसार मुळ व वाढीव पद संख्या | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | इंग्रजी | ०४ पूर्णवेळ | ६८ | ३ पूर्णवेळ ०८ तासिका शिल्लक | ३ पूर्णवेळ | | ८ तासिका शिल्लक |
| २ | मराठी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | | |
| ३ | हिन्दी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | --- | --- |
| ४ | इतिहास | ०२ पूर्णवेळ | ४० | २ पुर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ मूळ |
| ५ | राज्यशास्त्र | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | --- | --- |
| ६ | अर्थशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | -- | |
| ७ | भूगोल | ०३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ मूळ |
| ८ | गणित | ०२ पूर्णवेळ | ३९ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | |
| ९ | भौतिकशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ८३ | ४ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ मुळ | १ पूर्णवेळ नवीन |
| १० | रसायनशास्त्र | ०५ पूर्णवेळ | १२३ | ६ पूर्णवेळ ०७ तासिक I | २ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ मुळ | १ पूर्णवेळ नवीन |
| ११ | वनस्पतीशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ ०१ तासिका | ३९ | ०१ प्राचार्य २ पूर्णवेळ | ०१ प्राचार्य १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ नवीन |
| १२ | प्राणिशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ७१ | ४ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ नवीन |
| १३ | संख्याशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ ०१ अर्धवेळ | ३५ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ नवीन |
| १४ | कॉमर्स | ०२ पूर्णवेळ ०१ अर्धवेळ ०१ तासिका | ४० | २ पूर्णवेळ ०१ सी एच बी(M Law) | २ पूर्णवेळ ०१ सी एच बी (एम लॉ ) | १ सी एच बी (एम लॉ ) | |
| १५ | शा. शिक्षण संचालक | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | |
| १६ | ग्रंथपाल | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | |

- **नविन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.**

| | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|
| प्राचार्य | ०१ | ०१ | -- |
| पुर्णवेळ शिक्षक | ३८ | २६ | १२ |
| अर्धवेळ | ०० | ० | ० |
| शिल्लक तासिका | १५ | ० | १५ तासिका शिल्लक |
| सी एच बी | १ एम लॉ | ० | ०१ एम लॉ |
| ग्रंथपाल | ०१ | ०१ | ० |
| शा.शि.संचालक | ०१ | ०१ | ० |
| एकूण | ०१ प्राचार्य ४० पूर्णवेळ<br>१५ तासिका शिल्लक<br>०१ सीएचबी एम लॉ | ०१ प्राचार्य<br>२८ पूर्णवेळ | १२ पूर्णवेळ<br>१५ तासिका शिल्लक<br>१ सी एच बी एम लॉ |

कार्यभारानुसार मंजुर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे जादा पदे / पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनूमती कळविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भाधीन न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.

२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरिता नमूद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरुरीचे आहे.
३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमान २०,१६,१२, व २०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.
४. विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसल्यास त्याच विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.
५. सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.
६. विषयाची/विद्याशाखेची/तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या नियमानुसार असावी.
७. सर्व संबंधी विषय / तुकडया १००% अनुदान पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे / आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध अपरिहार्य आहे.
८. सर्व संबंधीत विषय/तुकडया १००% अनुदानपात्र ठरविल्याबाबतची शासनपत्रे/आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
९. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.
१०. नवीन पदावरील नियुक्त करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचलनालयाचे स्तरावरुन प्राप्त करुन घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३/२/२००० व दि.१६/६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करणेस बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. शासन पत्र दि.०२/०७/२०००१ नुसार २/३ रिक्त पदे भरण्याबाबत या कार्यालयाची पूर्व परवानगी आवश्यकता आहे. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ७ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत. दिल्यास तो अनुदानास अमान्य करण्यात येईल.

सदर पदांवरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटींची पूर्तता होत असल्यास या कार्यालयाकडून अनुदानाकरीता मान्य ठरविण्यात येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.

विभागीय सहसंचालक (उशि)
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

महाराष्ट्र शासन

# विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४१६ ००३

E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३१)२५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स क्र. : (०२३१) २५३५४००

जा.क्र.विससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/कराड / 8083-8123 दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०११

प्रति,

मा. प्राचार्य

आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )

ता. पलूस जि. सांगली

विषय :- आकृतीबंध २०१२-१३

संदर्भ :- १.आपले पत्र क्रमांक /१२-१३ दि. २६/११/२०१२

२. आमचेकडील पत्र क्रमांक क्र. विशिससं/उशि/कोवि/७९७९ दि ०९ नोव्हेंबर २०१२

शासन आदेश क्रमांक एन.जी.सी./१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ (सेल) दिनांक २२/०२/१९८० तसेच शासन नि. दिनांक २६/८/१९९९ मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालयाची अनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे. असे ग्राहय धरुन खालीलप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यात येत आहे.

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|---|---|---|
| वरिष्ठ महाविद्यालय | ७९८ | २५७ |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | ५३४ | २११ |
| एकूण | १३३२ | ४६८ |

| अ) | कार्यालय | मंजूर पदे | | भरलेली पदे | | रिक्त पदे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९८० च्या आकृती बंधानुसार | १९९९ च्या आकृती बंधानुसार | १९८० च्या आकृती बंधानुसार | १९९९ च्या आकृती बंधानुसार | १९८० च्या आकृती बंधानुसार | १९९९ च्या आकृती बंधानुसार |
| | प्रबंधक | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | लेखपाल | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | अधिक्षक | ०१ | ०१ | --- | --- | ०१ | ०० |
| | मुख्यलिपिक | ०१ | ०१ | ०१ | --- | ०० | ०० |
| | वरिष्ठलिपिक | ०२ | ०२ | ०२ | --- | ०० | ०० |
| | कनिष्ठ लिपिक | ०३ | ०३ | ०१ | --- | ०२ | ०० |
| | लघुटंकलेखक (कनिष्ठ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | शिपाई | ०४ | ०६ | ०१ | --- | ०३ | ०२ नविन |
| ब) | ग्रंथालय | | | | --- | | |
| | सहा.ग्रंथपाल | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ग्रंथपाल लिपिक | ०१ | ०१ | ०१ | --- | ०० | ०० |
| | ग्रंथा. परिचर | ०३ | ०५ | ०३ | --- | ०० | ०२ नविन |
| क) | प्रयोगशाळा | | | | --- | | |
| | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ०२ | ०३ | ०१ | --- | ०१ | ०१ नविन |
| | प्रयोगशाळा परिचर | ०७ | १२ | ०७ | --- | ०० | ०५ नविन |
| एकूण | | २४ | ३४ | १७ | ०० | ०७ | १० नविन |

• **नविन पदे तसेच पदोन्नती द्यावयाची पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.**

वरीलप्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे २०० बिंदू नामावलीप्रमाणे व २० बिंदूनामावलीप्रमाणे प्रमाणसंहितेचे व शासकीय नियमाचे पालन करुन भरणेत यावीत.

नवीन पदावरती नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याची यादी प्राप्त करुन घ्यावी किंवा संस्थेच्या स्तरावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या/ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेणेत यावी. तसेच नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयाची मान्यता घेवुन वेतन अदा करणेत यावीत. त्यामुळे निर्धारणसमयी वेतन अमान्य होणार नाही. विनाअनुदानित तुकडी मधील विद्यार्थी संख्येचा सामावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदाच्या आकृतीबंध रदद समजणेत येईल.

शासन निर्णय ०१/०३/२०० व २९/०६/२००० अन्वये नवीन नवीन पदे निर्मितीस तसेच सेवानिवृत्ती /स्वेच्छा निवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इत्यादीमुळे रिक्त असलेली पदे भरण्यास बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येवू नयेत अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरणेत येणार नाही.

**शासन निर्णय क्र.असंक-१०१०/प्रक्र-१/२०१०/वित्तिय सुधारणा-१/दि.५ जून, २०१० अन्वये शासन अनुदानीत संस्थामधील गट क व गट ड या संवर्गातील पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे सदरची पदे पूर्व परवानगीशिवाय भरणेत येवू नयेत, भरल्यास त्यावरील वेतन अनुदान मान्य केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.**

विभागीय सहसंचालक (उशि)

# महाराष्ट्र शासन
## विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण),कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर.
राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर ४१६ ००४

**E-mail: jdhekop@gmail.com**

फोन नं. (०२३१) २५३५४००/२५३५४५४ फॅक्स : (०२३१) २५३५४००


**जा.क्र. शिससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/** **दिनांक : ०४/०४/२०१६**

**प्रति,**

**प्राचार्य,**
**आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )**
**पो. किर्लोस्करवाडी ता. पलूस**
**जि. सांगली.**

विषय :- विषयनिहाय शिक्षक पदांना मंजुरी देणेबाबत . . . .
(शैक्षणिक वर्ष **२०१५-१६** )

संदर्भ :- अ) शासन निर्णय
१. क.एनजीसी/१२९८/४६१९ युएनआय-४ दि.११/१२/१९९९९
२. क.एनजीसी/१२०१/११८१५/३८/०१ विशी-४ दि.१८/१०/२००१
३. क्र.एनजीसी २००९/(२४३/०९)/-युएनआय-१/दि.१२.८.२००९.
ब) संचालनालयाकडील पत्र
१. **क्र.अशाम/२०१६/पदांचा आढावा/मवि-२/४३४४/दि.३०.३.२०१६.**

आपले पत्र क्रमांक . दिनांक अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त कायम अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकडया, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविले आहे, असे गृहित धरुन पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कायम विना अनुदानीत तुकडयांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | मंजूर तुकडयांची संख्या | | | | विद्यार्थी संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनु. तुकडया | विना-अनु. तुकड्या | कायम विनाअनु. तुकड्या | एकूण | अनुदानीत | विना-अनु. | कायम विना अनुदानीत | एकूण |
| बी.ए.- १ | २ | ० | ० | २ | १५१ | ०० | ० | १५१ |
| बी.ए.- २ | १ | ० | ० | १ | ९१ | ०० | ० | ९१ |
| बी.ए.- ३ | १ | ० | ० | १ | १०० | ०० | ० | १०० |
| **एकूण** | **४** | **०** | **०** | **४** | **३४२** | **००** | **०** | **३४२** |
| बी.कॉम.- १ | १ | ० | ० | १ | ६५ | ०० | ० | ६५ |
| बी.कॉम.- २ | १ | ० | ० | १ | ५८ | ०० | ० | ५८ |
| बी.कॉम.- ३ | १ | ० | ० | १ | ५५ | ०० | ० | ५५ |
| **एकूण** | **३** | **०** | ० | **३** | **१७८** | **००** | ० | **१७८** |
| बी.एस्सी.- १ | १ | १ | ० | २ | १२० | १९ | ० | १३९ |
| बी.एस्सी.- २ | १ | ० | ० | १ | ९० | ०० | ० | ९० |
| बी.एस्सी.- ३ | १ | ० | ० | १ | ६३ | ०० | ० | ६३ |
| **एकूण** | **३** | **१** | **०** | **४** | **२७३** | **१९** | ० | **२९२** |
| एम.ए.- १ | ० | १ | ० | १ | ०० | ३१ | ० | ३१ |
| एम.ए.- २ | ० | १ | ० | १ | ०० | ३१ | ० | ३१ |
| **एकूण** | **०** | २ | ० | २ | **००** | **६२** | ० | **६२** |
| बी. एड. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **एकत्रित एकूण** | **१०** | **३** | **०** | **१३** | **७९३** | **८१** | **०** | **८७४** |

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनाकडील पत्रे आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहीत केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या त्यापुढे असणाऱ्या एकूण कार्यभारास आपल्या महाविद्यालयास खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ.नं. | विषय | मूळ पदे १९९८-९९ | सद्याचा कार्यभार | मंजूर पदांची संख्या | सध्या कार्यरत शिक्षकांची संख्या | रिक्त पदे | कार्यभारानुसार नवीन वाढीव पद संख्या | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १ | इंग्रजी | ०४ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ६८ | ३ पूर्णवेळ<br>०८ तासिका शिल्लक | ३ पूर्णवेळ | ८ तासिका शिल्लक | | |
| २ | मराठी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | | | |
| ३ | हिन्दी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | |
| ४ | इतिहास | ०२ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ४० | २ पूर्णवेळ | २ पुर्णवेळ | | | |
| ५ | राज्यशास्त्र | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | | | |
| ६ | अर्थशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | | | |
| ७ | भूगोल | ०४ पूर्णवेळ प्राचार्यसह | ५२ | ३ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | | |
| ८ | गणित | ०२ पूर्णवेळ | ३९ | १ पूर्णवेळ | -- | ०१ पूर्णवेळ | | |
| ९ | भौतिकशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ९१ | ४ पूर्णवेळ<br>११ तासिका शिल्लक | २ पूर्णवेळ | ०१ पूर्णवेळ<br>११ तासिका | १ पूर्णवेळ | |
| १० | रसायनशास्त्र | ०४ पूर्णवेळ | ११९ | ६ पूर्णवेळ | ४ पूर्णवेळ | | २ पूर्णवेळ | |
| ११ | वनस्पतीशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ | ३९ | ०१ प्राचार्य<br>२ पूर्णवेळ | १ प्राचार्य | ०१ पूर्णवेळ | ०१ पूर्णवेळ | |
| १२ | प्राणिशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ७१ | ३ पूर्णवेळ<br>११ तासिका शिल्लक | २ पूर्णवेळ | ०१ पूर्णवेळ | ११ तासिका शिल्लक | |
| १३ | संख्याशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ<br>०१ अर्धवेळ | ३५ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | |
| १४ | कॉमर्स | ०२ पूर्णवेळ<br>०१ अर्धवेळ<br>०१ तासिका | ४० | २ पूर्णवेळ<br>०१ सीएचबी बिझि. लॉ. | १ पूर्णवेळ<br>०१ सीएचबी बिझि. लॉ. | १ पूर्णवेळ<br>०१ सीएचबी बिझि. लॉ. | | |
| १५ | शा. शिक्षण संचालक | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | | |
| १६ | ग्रंथपाल | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | | |

**● नविन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.**

| | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|
| **प्राचार्य** | ०१ | ०१ | -- |
| **ग्रंथपाल** | ०१ | ०१ | ०० |
| **शा.शि.संचालक** | ०१ | ०१ | ०० |
| **पूर्णवेळ शिक्षक** | ३७ | २४ | १३ |
| **अर्धवेळ** | ०० | ०० | ० |
| **तासिका** | ०१ सीएचबी बिझि लॉ<br>३० तासिका शिल्लक | | |
| **एकूण** | **०१ प्राचार्य ३९ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी ३० तासिका शिल्लक** | **०१ प्राचार्य २६ पूर्णवेळ** | **१३ पूर्णवेळ ३० तासिका शिल्लक<br>१ सीएचबी बिझिनेस लॉ.** |

कार्यभारानुसार मंजुर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे जादा पदे / पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनूमती कळविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भाधीन प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.
२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरिता नमूद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरुरीचे आहे.
३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमान २०,१६,१२, व २०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.
४. विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसल्यास त्याच विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.
५. सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.
६. विषयाची/विद्याशाखेची/तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या नियमानुसार असावी.
७. सर्व संबंधी विषय / तुकडया कायम विना अनुदानास पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे / आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध अपरिहार्य आहे.
८. सर्व संबंधीत विषय/तुकडया कायम विना अनुदानपात्र ठरविल्याबाबतची शासनपत्रे/आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
९. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.

शासन निर्णय दि.१३/२/२००० व दि.१६/६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करणेस बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. शासन पत्र दि.०२/०७/२०००१ नुसार २/३ रिक्त पदे भरण्याबाबत या कार्यालयाची पूर्व परवानगी आवश्यकता आहे. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ७ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत. दिल्यास तो अमान्य करण्यात येईल. व त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.

## शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे

शासन आदेश क्रमांक एन.जी.सी./१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ (सेल) दिनांक २२/०२/१९८० मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालयाची अनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे, असे ग्राहय धरुन खालीलप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यात येत आहे.

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|---|---|---|
| वरिष्ठ महाविद्यालय | ७९३ | २७३ |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | ४८० | १९१ |
| पदव्युत्तर विभाग | ०० | ०० |
| एकूण | १२७३ | ४६४ |

| अ.क्र. | कार्यालय | मंजूर पदांची संख्या | | भरलेली पदे | | रिक्त पदे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २२.१०.८० च्या आकृतीबंधानुसार नुसार १९९८-९९ ची पदे | २६.८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | २२.१०.१९८० च्या आकृतीबंधानुसार | २६.८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | मूळ पदांनुसार | वाढीव पदांनुसार |
| अ) | प्रबंधक | ० | | | | | |
| | अधिक्षक | १ | १ | १ | १ | ० | ० |
| | मुख्यलिपिक | १ | १ | १ | १ | ० | ० |
| | वरिष्ठलिपिक | २ | २ | २ | २ | ० | ० |
| | कनिष्ठ लिपिक | ३ | ३ | २ | २ | १ | ० |
| | लघुटंकलेखक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | शिपाई | ४ | ६ | ४ | ४ | ० | २ |
| ब) | ग्रंथालय | | | | | | |
| | सहा.ग्रंथपाल | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | ग्रं.लिपिक | १ | १ | १ | १ | ० | ० |
| | ग्रंथा. परिचर | ३ | ५ | २ | २ | १ | २ |
| क) | प्रयोगशाळा | | | | | | |
| | प्र.सहाय्यक | २ | ३ | १ | १ | १ | १ |
| | प्र.परिचर | ७ | १२ | ७ | ७ | ० | ५ |
| | एकूण | २४ | ३४ | २१ | २१ | ३ | १० |

**<u>नविन पदे तसेच नवीन पदावरील पदोन्नतीची पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.</u>**

नवीन पदावरती नियुक्ती करण्यापूर्वी या कार्यालयाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. महाविद्यालय/संस्थास्तरावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या/ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेणेत यावे. तसेच नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयाची मान्यता घेणेत यावी. **नवीन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरणेत येवू नयेत.**

शासन मान्यतेशिवाय विनाअनुदानित तुकडी मधील विद्यार्थी संख्येचा सामावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदाच्या आकृतीबंध रद समजणेत येईल.

**विभागीय सहसंचालक (उशि)**
**कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर**

# विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४१६ ००३

E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३१)२५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स क्र. : (०२३१) २५३५४००


जा.क्र.विसस/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/इस्लांपूर दिनांक : १० जुलै २०१४

प्रति,
मा. प्राचार्य
**आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )**
**ता. पलूस जि. सांगली**

विषय :- विषयनिहाय शिक्षक पदांना मंजुरी देणेबाबत . . . .
(शैक्षणिक वर्ष **२०१३ - २०१४** )

संदर्भ :- अ) शासन निर्णय

१. क.युएससी/११७८/२५२५१/रोमन-३२सेल दि.१९/६/१९७८.
२. क.एनजीसी/१२८६/१२२४ युजिफ-४ दि.२७/२/१९८९
३. क.एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७ युलिफ-२ दि.१/६/१९९१
४. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
५. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
६. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
७. क.एनजीसी/१२९८/४६१९ युएनआय-४ दि.११/१२/१९९९९
८. क.एनजीसी/१२०१/११८१५/३८/०१ विशी-४ दि.१८/१०/२००१
९. क.युएसजी/१२०१/१८२-०१/विशी-४ दि.३/५/२००३

ब) संचालनालयाकडील पत्र

१. क.एनजीसी/१०८१/११४५७/रोमन-५ अ दि.२८/९/१९८३
२. क.एनजीसी/१९९१/१६००९/कार्यभार-९ अ (म) दि.१९/१०/१९९१
३. क.एनजीसी/१९९४/५८३०२/कार्यभार-९ अ दि.१९/४/१९९५
४. क.एनजीसी/१०९३/५९१६/मणि-३ दि.१९/६/१९९५.-
५. क्र. विशिसर्स/उशि/कोवि/६९३२-७०६२ दि ११ नोव्हेंबर २०११

आपले पत्र क्रमांक /१३-१४ दि.१०/०७/२०१४ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकडया, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे, असे गृहित धरुन पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अनुदानीत तुकड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | मंजूर तुकड्यांची संख्या | | | | विद्यार्थी संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुदानीत | पैकी चालू तुकड्या | विनाअनु. तुकड्या | एकूण | अनुदानीत | विनाअनु. | एकूण |
| बी.ए. -१ | ०२ | ०२ | ०० | ०२ | १६९ | ०० | १६९ |
| बी.ए. -२ | ०२ | ०१ | ०० | ०१ | ९१ | ०० | ९१ |
| बी.ए. -३ | ०२ | ०१ | ०० | ०१ | ७७ | ०० | ७७ |
| **एकूण** | **०६** | **०४** | **००** | **०४** | **३३७** | **००** | **३३७** |
| बी.कॉम -१ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ७५ | ०० | ७५ |
| बी.कॉम -२ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ६६ | ०० | ६६ |
| बी.कॉम -३ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ५९ | ०० | ५९ |
| **एकूण** | **०३** | **०३** | **००** | **०३** | **२००** | **००** | **२००** |
| बी.एस्सी. -१ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | १२० | ०० | १३३ |
| बी.एस्सी. -२ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | १०९ | ०० | १०९ |
| बी.एस्सी. -३ | ०१ | ०१ | ०० | ०१ | ६४ | ०० | ६४ |
| **एकूण** | **०३** | **०३** | **००** | **०३** | **२९३** | **००** | **३०६** |
| **एकतित्र एकूण** | **१२** | **१०** | **००** | **१०** | **८३०** | **००** | **८३०** |

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनाकडील पत्रे आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहीत केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमूद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयास

| अ.नं. | विषय | नुसार मूळ मंजूर पदे | सध्याचा कार्यभार | नुसार मंजूर पदांची संख्या | कार्यरत शिक्षकांची संख्या | सार मूळ रिक्त पदे | नुसार वाढीव रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | | ७ | ८ |
| १ | इंग्रजी | ०४ पूर्णवेळ<br>०१ प्राचार्य | ६८ | ३ पूर्णवेळ<br>१ तासिका | ३ पूर्णवेळ | --- | --- | |
| २ | मराठी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | --- | --- | |
| ३ | हिन्दी | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | --- | --- | |
| ४ | इतिहास | ०२ पूर्णवेळ<br>०१ तासिका | ४० | २ पुर्णवेळ | १ पुर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | |
| ५ | राज्यशास्त्र | ०२ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | --- | --- | |
| ६ | अर्थशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | -- | --- | |
| ७ | भूगोल | ०३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | |
| ८ | गणित | ०२ पूर्णवेळ | १८ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | | | |
| ९ | भौतिकशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ११९ | ६ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | |
| १० | रसायनशास्त्र | ०५ पूर्णवेळ | ११९ | ६ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ११ | वनस्पतीशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ | ५१ | १ प्राचार्य<br>२ पूर्णवेळ | १ प्राचार्य<br>१ पूर्णवेळ | -- | १ पूर्णवेळ | |
| १२ | प्राणिशास्त्र | ०३ पूर्णवेळ | ८३ | ४ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | --- | १ पूर्णवेळ | |
| १३ | संख्याशास्त्र | ०१ पूर्णवेळ<br>०१ अर्धवेळ | ४३ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | १ पूर्णवेळ | |
| १४ | कॉमर्स | ०२ पूर्णवेळ<br>०१ अर्धवेळ<br>०१ तासिका | ४० | २ पूर्णवेळ<br>१ तासिका | २ पूर्णवेळ<br>१ तासिका | --- | --- | |
| १५ | शा. शिक्षण संचालक | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | --- | |
| १६ | ग्रंथपाल | ०१ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | --- | |

- **नविन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.**

| | मुळ मंजूर पदे | चालू कार्यभारानुसार मंजूर पदे | भरलेली पदे | मूळ रिक्त पदे | नवीन रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राचार्य | ०१ | ०१ | ०१ | | |
| पुर्णवेळ शिक्षक | ३५ | ४० | २८ | ५ पूर्णवेळ | ७ पूर्णवेळ |
| अर्धवेळ | ०२ | ०० | ०० | | |
| तासिका | ०२ | ०२ | ०१ | | |
| ग्रंथपाल | ०१ | ०१ | ०१ | | |
| शा.शि.संचालक | ०१ | ०१ | ०१ | | |
| एकूण | ०१ प्राचार्य<br>३७ पूर्णवेळ<br>२ सीएचबी | ०१ प्राचार्य<br>४२ पूर्णवेळ<br>२ सीएचबी | ०१ प्राचार्य<br>३० पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ५ पूर्णवेळ | ७ पूर्णवेळ |

२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरिता नमूद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरुरीचे आहे.

३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमान २०,१६,१२, व २०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.

४. विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसल्यास त्याच विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.

५. सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.

६. विषयाची/विद्याशाखेची/तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या नियमानुसार असावी.

७. सर्व संबंधी विषय / तुकडया १००% अनुदान पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे / आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध अपरिहार्य आहे.

८. सर्व संबंधीत विषय/तुकडया १००% अनुदानपात्र ठरविल्याबाबतची शासनपत्रे/आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

९. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.

१०. नवीन पदावरील नियुक्त करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचलनालयाचे स्तरावरुन प्राप्त करुन घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३/२/२००० व दि.१६/६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करणेस बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. शासन पत्र दि.०२/०७/२०००१ नुसार २/३ रिक्त पदे भरण्याबाबत या कार्यालयाची पूर्व परवानगी आवश्यकता आहे. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ७ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत. दिल्यास तो अनुदानास अमान्य करण्यात येईल.

सदर पदांवरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटींची पूर्तता होत असल्यास या कार्यालयाकडून अनुदानाकरीता मान्य ठरविण्यात येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.

**विभागीय सहसंचालक (उशि)**
**कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर**

# विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४१६ ००३

E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३१)२५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स क्र. : (०२३१) २५३५४००


जा.क्र.विससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/कराड दिनांक : १० जुलै, २०१४

प्रति,

मा. प्राचार्य

आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )

ता. पलूस जि. सांगली

विषय :- आकृतीबंध २०१३-१४

संदर्भ :- १.आपले पत्र क्रमांक /१४-१५ दि. १०/०७/२०१४

२. आमचेकडील पत्र क्रमांक क्र. विशिससं/उशि/कोवि/२१८० दि ०३ जुलै २०१४

शासन आदेश क्रमांक एन.जी.सी./१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ (सेल) दिनांक २२/०२/१९८० तसेच शासन नि. दिनांक २६/८/१९९९ मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालयाची अनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे. असे ग्राहय धरुन खालीलप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यात येत आहे.

| **विद्यार्थी संख्या** | **सर्व विद्याशाखा** | **फक्त विज्ञान विद्याशाखा** |
|---|---|---|
| वरिष्ठ महाविद्यालय | ८३० | २९३ |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | ५१३ | १९९ |
| एकूण | **१३४३** | **४९२** |

| अ.क्र. | कार्यालय | मंजूर पदांची संख्या | | भरलेली पदे | | रिक्त पदे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २२.१०.८० च्या आकृतीबंधानुसार नुसार १९९८-९९ ची पदे | २६.८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | २२.१०.१९८० च्या आकृतीबंधानुसार | २६.८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | मूळ पदांनुसार | वाढीव पदांनुसार |
| अ) | प्रबंधक | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | अधिक्षक | ०१ | ०१ | -- | -- | ०१ | ---- |
| | मुख्यलिपिक | ०१ | ०१ | ०१ | -- | -- | -- |
| | वरिष्ठलिपिक | ०२ | ०२ | ०२ | -- | ---- | -- |
| | कनिष्ठ लिपिक | ०३ | ०३ | ०२ | -- | ०१ | ---- |
| | लघुटंकलेखक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | शिपाई | ०४ | ०६ | ०४ | -- | ०० | ०२ |
| ब) | **ग्रंथालय** | | | | -- | -- | -- |
| | सहा.ग्रंथपाल | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ग्रंथालय लिपिक | ०१ | ०१ | ०० | -- | ०१ | -- |
| | ग्रंथा. परिचर | ०३ | ०५ | ०३ | -- | -- | ०२ |
| क) | **प्रयोगशाळा** | | | | -- | | |
| | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ०२ | ०३ | ०० | -- | ०२ | ०१ |
| | प्रयोगशाळा परिचर | ०७ | १३ | ०७ | -- | ०० | ०६ |
| | **एकूण** | **२४** | **३५** | **१९** | -- | **०५** | **११** |

**<u>नविन पदे तसेच नवीन पदावरील पदोन्नतीची पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.</u>**

नवीन पदावरती नियुक्ती करण्यापूर्वी या कार्यालयाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. महाविद्यालय/संस्थास्तरावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या/ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेणेत यावे. तसेच नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयाची मान्यता घेवुन वेतन अदा करणेत यावे. त्यामुळे अनुदान निर्धारणसमयी वेतन अमान्य होणार नाही. **<u>नवीन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरणेत येवू नयेत.</u>**

विनाअनुदानित तुकडी मधील विद्यार्थी संख्येचा समावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेले आवश्यक

# महाराष्ट्र शासन

## विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४१६ ००४

Email:-jdhekop@gmail.com **Web Site – www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com**

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००


जा.क्रं.विससं/उशि/कोवि/अनु-२/पदमान्यता/२०१७/४६१६ दि २४/११/२०१७.

**पदमान्यता सन २०१७-२०१८**

प्रति,

**मा. प्राचार्य,**

आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )

ता. पलूस जि. सांगली

**विषय :- दि.०१.१०.२०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षक पदांना मान्यता देणेबाबत...**

**संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्रं.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.**

**२. शासन निर्णय दि.१९.०६.१९७८.**

**३. शासन निर्णय दि.२७.०२.१९७९.**

**४. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.**

**५. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.**

**६. शासन निर्णय दि.११.१२.१९९९.**

**७. शासन निर्णय दि.१८.१०.२००१.**

**८. शासन निर्णय दि.०३.०५.२००३.**

**९. शासन निर्णय दि.१५.०२.२०११.**

**१०. युजीसीची अधिसुचना दि.३०.०६.२०१०.**

**११. संचालनालयाकडील पत्र दि.२८.०१.१९८३.**

**१२. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.१०.१९९१.**

**१३. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०४.१९९५.**

**१४. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०६.१९९५.**

**१५. आपलेकडील पत्र क्रं...... दि. / / २०१६.**

सदर्भ क्रं.१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकडया, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे. सदरहू माहिती ही आपण दिलेली माहिती खरी आहे आणि त्याची सत्यता आपण स्वतः पडताळणी केली आहे असे गृहीत धरून खालील पदमान्यता करून देण्यांत येत आहे. आपण सादर केलेल्या माहितीनुसार अनुदानित तुकडयांची व विद्यार्थी संख्येची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्रं. | विद्याशाखा | शासन मान्य अनुदानित विभाग | | | शासनमान्य कायम विनाअनुदानित विभाग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकडयांची संख्या | पैकी चालू तुकडया | चालू तुकडयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकडयांची संख्या | पैकी चालू तुकडया | चालू तुकडयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या |
| १ | बी.ए.भाग-१ | २ | २ | २०६ | ० | ० | ० |
| २ | बी.ए.भाग-२ | २ | १ | ८३ | ० | ० | ० |
| ३ | बी.ए.भाग-३ | २ | १ | ७८ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | ६ | ३ | **३६७** | **०** | **०** | **०** |
| १ | बी.कॉम.भाग-१ | १ | १ | ७२ | ० | ० | ० |
| २ | बी.कॉम.भाग-२ | १ | १ | ५७ | ० | ० | ० |
| ३ | बी.कॉम.भाग-३ | १ | १ | ४९ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **३** | **१७८** | | | |
| १ | बी.एस्सी.भाग-१ | १ | १ | १२० | १ | १ | २४ |
| २ | बी.एस्सी.भाग-२ | १ | १ | ११३ | ० | ० | ० |
| ३ | बी.एस्सी.भाग-३ | १ | १ | ६८ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **३** | **३०१** | **१** | **१** | **२४** |

संदर्भीय शासन निर्णय व संचालनालयाकडील पत्र आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमुद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयांस खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यांत येत आहे. सदरहू विद्यार्थी संख्येमध्ये तफावत आढळूण आल्यास त्यांस सर्वस्वी जबाबदार आपण असाल. सदरहू अनियमिततेमुळे पदांची संख्या कमी किंवा जास्त करण्यांसाठीचा अधिकार अबाधित ठेवून सदरहू मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे.

| | विषय | ९९-०० चा मंजूर कार्यभार | ९९-०० ची मंजूर पदे | १७-१८ चा मंजूर कार्यभार | २०१७-२०१८ ची मंजूर पदे | | २०१७-२०१८ ची भरलेली पदे | | २०१७-२०१८ ची रिक्त पदे | | कार्यभारानुसार वाढीव पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | | |
| १ | इंग्रजी | ७६ | १ प्राचार्य<br>४ पूर्णवेळ | ६८ | ३ पूर्णवेळ<br>८ तासिका शिल्लक | ० | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ<br>८ तासिका शिल्लक | ० | | |
| २ | मराठी | ३६ | ०२ पूर्णवेळ | ४० | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| ३ | हिंदी | ३६ | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| ४ | इतिहास | ४० | २ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ४० | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ५ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ६ | अर्थशास्त्र | ४८ | ३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| ७ | भूगोल | ५६ | ३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | |
| ८ | गणित | ३६ | २ पूर्णवेळ | ४७ | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| ९ | पदार्थविज्ञान | ६३ | ३ पूर्णवेळ | ९१ | ४ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | |
| १० | रसायनशास्त्र | ९१ | ५ पूर्णवेळ | १३१ | ७ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | ५ पूर्णवेळ | ० | | |
| ११ | वनस्पतीशास्त्र | २७ | १ पूर्णवळ<br>१ सीएचबी | ५५ | ३ पूर्णवेळ<br>प्राचार्यसह<br>१० ता. शि. | ० | १ प्राचार्य<br>१ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ<br>१० ता. शि. | ० | | |
| १२ | प्राणिशास्त्र | ५९ | ३ पूर्णवेळ | ८७ | ४ पूर्णवेळ<br>११ ता शि | ० | ३ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | |
| १३ | संख्याशास्त्र | ३१ | १ पूर्णवेळ<br>१ अर्धवेळ | ३१ | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ११ ता. शि. | ० | | |
| १४ | बिझिनेस स्टॅटिस्टिक्स | ४ | १ सीएचबी | ४ | १ सीएचबी | ० | ० | ० | १ सीएचबी | ० | ० | |
| १५ | कॉमर्स | ४४ | २ पूर्णवेळ<br>१ अर्धवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| १६ | बिझि लॉ | ४ | १ सीएचबी | ४ | १ सीएचबी | ० | ० | ० | १ सीएचबी | ० | | |
| १६ | शारी. शि. संचालक | ४२ | १ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | | |
| १७ | ग्रंथपाल | ४२ | १ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | | |
| | एकूण | | १ प्राचार्य<br>३७ पूर्णवेळ<br>२ अर्धवेळ<br>४ सीएचबी | | ४१ पूर्णवेळ<br>प्राचार्यसह<br>२ सीएचबी<br>५१ ता. शि. | | २४ पूर्णवेळ प्राचार्य सह | | १६ पूर्णवेळ<br>२ सीएचबी<br>५१ ता. शि. | | ३ पूर्णवेळ<br>२२ ता. शि. | |

**नवीन वाढीव पदे या कार्यालयांच्या पूर्व परवानगीशिवाय भरण्यांत येवू नयेत. सदरहू पदे या कार्यालयांच्या मान्यतेशिवाय भरलीत तर सदरहू पदांच्या वेतन व संपूर्ण सेवा याबाबत महाविद्यालय प्रशासन, संस्था व नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.**

| | | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|
| ०१ | प्राचार्य | १ | १ | ० |
| ०२ | अधिव्याख्याते | ३८ | २१ | १७ |
| ०३ | ग्रंथपाल | १ | १ | ० |
| ०४ | शा.शि.संचालक | १ | १ | ० |
| ०५ | अर्धवेळ शिक्षक | ० | ० | ० |
| | एकूण | ४१ | २४ | १६ |
| ०१ | तासिका तत्वावरील पदे | २ सीएचबी ५१ ता. शि. | | २ सीएचबी ५१ ता. शि. |

) मंजूर पदांचा तपशिल.

| अ.क्रं. | सहाय्यक प्राध्यापक | सहयोगी प्राध्यापक | प्राध्यापक | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सरळसेवा | पदोन्नती |
| १ | १८ | ६ | ० | ० |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयातील वरीलप्रमाणे जादा पद/पूर्वीच्या पदास खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती देण्यात येत आहे.

आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भातील न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे. कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादेत आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे जादा पदे/पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती ककविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भीय न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्‌यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.

२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/ टयुटोरियल (पाठयनिर्देशन) / प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरीता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरूरीचे आहे.

३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखेतील प्रथम वर्ष व तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमाण २०,१६,१२ व २०,२०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.

४. विषयनिहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षांत वेळाप्रत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिका पर्यंत कार्यभार अपूरा असणा-या अधिव्याख्यात्याना कमी पडणार कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसलेल्या त्याच विषयांचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे. तथापि, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विनाअनुदानित विभागाकडील कार्यभार दाखवून वेतन अनुदान घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

५. सदरहू पदावरील नियुक्त्या ही प्रचलित असलेल्या युजीसीच्या अधिसुचना / शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यांत याव्यात.

६. विषयाची/ विद्याशाखेची / तुकडीची किमाण विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार असावी.

७. सर्व संबंधीत विषय / तुकडया १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे/ आदेश महाविद्यालयांकडे उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे.

८. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदान पात्र कार्यभार कमी झालेस त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यांत येईल.

९. नविन पदावरील नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरीक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचालनालाच्या स्तरावरून प्राप्त करून घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३.०२.२०००, दि.१६.०६.२००० व दि.२७.०६.२०१३ नुसार प्राप्त नसलेल्या (नेट/सेट/ पी.एच.डी.) परिक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेंद्वारांची भरती करणेस बंदी आहे. अश्या नेमणूका तासिका तत्वावरती गणल्या जातील. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकांस ०७ तासिकेपेक्षा जादा तासिका प्रतिआठवडा व २१० तासिका प्रतिवर्ष पेक्षा जास्त देवू नयेत पेक्षा जास्त दिल्यास तो अनुदान निर्धारण समयी अमान्य करण्यांत येईल. वाढीव पदे भरण्यांसदर्भांत संचालनालय किंवा या कार्यालयांकडून मान्यता घेतल्याखेरीज पदे भरण्यांत येवू नयेत अन्यथा सदरहू पदांच्या वेतन व तद्अनुषंगीक बांबींविषयी सर्वस्वी जबाबदार नियुक्ती प्राधिकारी/ महाविद्यालय प्रशासन/ प्राचार्य/ संस्था राहील.

सदरहू पदावरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटींची पुर्तता होत असल्यास या कार्यालयांकडून अनुदानकरीता मान्य ठरविण्यांत येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.

**विभागीय सहसंचालक,**
**उच्च शिक्षण,**
**कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर**

---ooOoo---

**महाराष्ट्र शासन**

# विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

**राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४१६ ००४**

Email:-jdhekop@gmail.com **Web Site – www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com**

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००


जा.क्रं.विससं/उशि/कोवि/अनु-२/पदमान्यता/२०१७/४६१६ दि. २४/११/२०१७.

**पदमान्यता सन २०१७-२०१८**

प्रति,
**मा. प्राचार्य,**
आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )
ता. पलूस जि. सांगली

**विषय :- दि.०१.१०.२०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१७-२०१८या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षकेत्तर पदांना मान्यता देणेबाबत...**

**संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्रं.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.**
**२. आपलेकडील पत्र क्रं...... दि. २३/११/ २०१७.**

शासन आदेश क्रमांक एनजीसी/१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ दि.२२.०२.१९८० मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालया कडील अनुदानप्राप्त विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे. असे कर्मचारी वर्ग मंजूर ग्राहय धरून खालील प्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यांत येत आहे.

| गट | पदनाम | सन.१९९८-९९ | | | सन.२०११-१२ | | | सन.२०१७-१८ | | | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूर | भरलेली | रिक्त | मंजूर | भरलेली | रिक्त | मंजूर | भरलेली | रिक्त | (संरक्षीत/अतित रिक्त/जादा) |
| ब | प्रबधंक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अ) एकूण - ब | | | | | | | | | | | |
| क | .अधिक्षक | १ | १ | - | १ | १ | ० | १ | १ | ० | |
| | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | |
| | लघुलेखक (वरीष्ठ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लघुलेखक (क) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | - | २ | २ | - | २ | २ | - | |
| | कनिष्ठ लिपीक | ३ | २ | १ | ३ | २ | १ | ३ | २ | १ | |
| | ग्रंथालय लिपीक | १ | १ | - | १ | १ | - | १ | १ | - | - |
| | प्रयोगशाळा सहाय्यक | २ | १ | १ | ३ | १ | २ | ३ | १ | २ | - |
| ब ) एकूण गट-क | | १० | ७ | ३ | ११ | ७ | ४ | ११ | ७ | ४ | - |
| ड | प्रयोगशाळा परिचर | ७ | ५ | २ | ११ | ५ | ६ | १२ | ५ | ७ | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रंथालय परिचर | ३ | ३ | - | ४ | ३ | १ | ५ | ३ | २ | - |
| शिपाई | ४ | ४ | - | ५ | ४ | १ | ६ | ४ | २ | - |
| तात्रिक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समन्वयक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **क) एकूण – ड** | **१४** | **१२** | **२** | **२०** | **१२** | **८** | **२३** | **१२** | **११** | |
| तबलजी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भांडारपाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सहाय्यक ग्रंथपाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| लेखापाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ख )** | | | | | | | | | | |
| **अ,ब,क व ख ची एकूण** | **२४** | **१९** | **५** | **३१** | **१९** | **१२** | **३४** | **१९** | **१५** | **-** |

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|---|---|---|
| **वरीष्ठ विभाग** | ८४६ | ३०१ |
| **कनिष्ठ विभाग** | ४४६ | १७१ |
| **पदव्युत्तर विभाग** | ० | ० |
| **एकूण** | **१२९२** | **४७२** |

वरील प्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे १०० बिंदु-नामावली प्रमाणे व ५० बिंदु-नामावली प्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा/ प्रमाणसहिंता/ वेळोवेळी शासनाकडून दिले जाणारे शासन निर्णय, शासन आदेश, शासन परिपत्रक , संचालनालयाकडील व या कार्यालयांकडील आदेशान्वये भरण्यांत यावेत. सन १९९८-९९ नंतर मंजूर केलेल्या नविन पदांवरती नियुक्ती करण्यांपूर्वी अतिरीक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त करून दयावी किंवा संस्थेच्या स्तरावर अतिरीक्त ठरणाऱ्या / ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना समावून घेण्यांत यावे. तसेच नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयांची मान्यता घेवूनच वेतन अदा करण्यांत यावे. त्यामुळे अनुदान निर्धारण समयी वेतन अमान्य होणार नाही.

विनाअनुदानित विद्यार्थी संख्येचा समावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदांचा आकृतिबंध रद्द समजण्यांत येईल. शासन निर्णय दि.०१.०३.२००० व दि.२९.०६.२००० अन्वये नविन पदे निर्मिती तसेच सेवानिवृत्ती / स्वेच्छानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इ. मुळे रिक्त असलेली पदे भरण्यांस बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भरण्यांत येवू नयेत. अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरण्यांत येणार नाही. अशा प्रकारच्या अनियमिततेस सर्वस्वी महाविद्यालय प्रशासन / प्राचार्य / संस्था / नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.

**विभागीय सहसंचालक,**
**उच्च शिक्षण,**
**कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर**

**---ooOoo---**

महाराष्ट्र शासन

# विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४१६ ००४

Email:-jdhekop@gmail.com Web Site – www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००


जा.क्रं.विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०१६-१७/ दि १०/१२/२०१६.

## पदमान्यता सन २०१६-१७

प्रति,

**मा. प्राचार्य,**

आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )

ता. पलूस जि. सांगली

**विषय :- दि.०१.१०.२०१६ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षक पदांना मान्यता देणेबाबत...**

**संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्रं.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.**

**२. शासन निर्णय दि.१९.०६.१९७८.**
**३. शासन निर्णय दि.२७.०२.१९७९.**
**४. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.**
**५. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.**
**६. शासन निर्णय दि.११.१२.१९९९.**
**७. शासन निर्णय दि.१८.१०.२००१.**
**८. शासन निर्णय दि.०३.०५.२००३.**
**९. शासन निर्णय दि.१५.०२.२०११.**
**१०. युजीसीची अधिसुचना दि.३०.०६.२०१०.**
**११. संचालनालयाकडील पत्र दि.२८.०१.१९८३.**
**१२. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.१०.१९९१.**
**१३. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०४.१९९५.**
**१४. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०६.१९९५.**
**१५. आपलेकडील पत्र क्रं...... दि. / / २०१६.**

सदंर्भ क्रं.१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकडया, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे. सदरहू माहिती ही आपण दिलेली माहिती खरी आहे आणि त्याची सत्यता आपण स्वतः पडताळणी केली आहे असे गृहीत धरून खालील पदमान्यता करून देण्यांत येत आहे. आपण सादर केलेल्या माहितीनुसार अनुदानित तुकडयांची व विद्यार्थी संख्येची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्रं. | विद्याशाखा | शासन मान्य अनुदानित विभाग | | | शासनमान्य कायम विनाअनुदानित विभाग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकडयांची संख्या | पैकी चालू तुकडया | चालू तुकडयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकडयांची संख्या | पैकी चालू तुकडया | चालू तुकडयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या |
| १ | बी.ए.भाग-१ | २ | २ | १५२ | ० | ० | ० |
| २ | बी.ए.भाग-२ | २ | १ | ९० | ० | ० | ० |
| ३ | बी.ए.भाग-३ | २ | १ | ८६ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | ६ | ३ | **३२८** | **०** | **०** | **०** |
| १ | बी.कॉम.भाग-१ | १ | १ | ८६ | ० | ० | ० |
| २ | बी.कॉम.भाग-२ | १ | १ | ५० | ० | ० | ० |
| ३ | बी.कॉम.भाग-३ | १ | १ | ४४ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **३** | **१८०** | | | |
| १ | बी.एस्सी.भाग-१ | १ | १ | १२० | १ | १ | १८ |
| २ | बी.एस्सी.भाग-२ | १ | १ | ८८ | ० | ० | ० |
| ३ | बी.एस्सी.भाग-३ | १ | १ | ६३ | ० | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **३** | **२७१** | **१** | **१** | **१८** |

संदर्भीय शासन निर्णय व संचालनालयाकडील पत्र आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमुद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयांस खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यांत येत आहे. सदरहू विद्यार्थी संख्येमध्ये तफावत आढळूण आल्यास त्यांस सर्वस्वी जबाबदार आपण असाल. सदरहू अनियमिततेमुळे पदांची संख्या कमी किंवा जास्त करण्यांसाठीचा अधिकार अबाधित ठेवून सदरहू मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे.

| अ. क्रं. | विषय | ९९-०० चा मंजूर कार्यभार | ९९-०० ची मंजूर पदे | १६-१७ चा मंजूर कार्यभार | १६-१७ ची मंजूर पदे | | १६-१७ ची भरलेली पदे | | १६-१७ ची रिक्त पदे | | कार्यभारानुसार वाढीव पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | पुर्णवेळ | अर्धवेळ | | |
| १ | इंग्रजी | ७६ | १ प्राचार्य<br>४ पूर्णवेळ | ६८ | ३ पूर्णवेळ<br>८ तासिका शिल्लक | ० | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ<br>८ तासिका शिल्लक | ० | | |
| २ | मराठी | ३६ | ०२ पूर्णवेळ | ४० | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ३ | हिंदी | ३६ | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ | | | |
| ४ | इतिहास | ४० | २ पूर्णवेळ<br>१ सीएचबी | ४० | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ५ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ६ | अर्थशास्त्र | ४८ | ३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ० | ३ पूर्णवेळ | ० | | ० | | |
| ७ | भूगोल | ५६ | ३ पूर्णवेळ | ५२ | ३ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ | ० | | |
| ८ | गणित | ३६ | २ पूर्णवेळ | ४७ | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| ९ | पदार्थविज्ञान | ६३ | ३ पूर्णवेळ | ९१ | ४ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | २ पूर्णवेळ | ० | २ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | |
| १० | रसायनशास्त्र | ९१ | ५ पूर्णवेळ | १११ | ५ पूर्णवेळ ११ ता. शि. | ० | ४ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | ११ ता. शि. | |
| ११ | वनस्पतीशास्त्र | २७ | १ पूर्णवळ<br>१ सीएचबी | ४७ | ३ पूर्णवेळ<br>प्राचार्यसह | ० | १ प्राचार्य | ० | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | |
| १२ | प्राणिशास्त्र | ५९ | ३ पूर्णवेळ | ७९ | ४ पूर्णवेळ | ० | ३ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | |
| १३ | संख्याशास्त्र | ३१ | १ पूर्णवेळ<br>१ अर्धवेळ | ३१ | १ पूर्णवेळ<br>११ ता. शि. | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ११ ता. शि. | ० | | |
| १४ | बिझिनेस स्टॅटिस्टिक्स | ४ | १ सीएचबी | ४ | १ सीएचबी | ० | ० | ० | १ सीएचबी | ० | ० | |
| १५ | कॉमर्स | ४४ | २ पूर्णवेळ<br>१ अर्धवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | | |
| १६ | बिझि लॉ | ४ | १ सीएचबी | ४ | १ सीएचबी | ० | ० | ० | १ सीएचबी | ० | | |
| १६ | शारी. शि. संचालक | ४२ | १ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | | |
| १७ | ग्रंथपाल | ४२ | १ पूर्णवेळ | ४२ | १ पूर्णवेळ | ० | १ पूर्णवेळ | ० | ० | ० | | |
| | एकूण | | १ प्राचार्य<br>३७ पूर्णवेळ<br>२ अर्धवेळ<br>४ सीएचबी | | ३९ पूर्णवेळ<br>प्राचार्यसह<br>२ सीएचबी<br>४१ ता. शि. | | २७<br>पूर्णवेळ<br>प्राचार्य<br>सह | | १२ पूर्णवेळ<br>२ सीएचबी<br>४१ ता. शि. | | ३ पूर्णवेळ<br>२२ ता. शि. | |

**<u>नवीन वाढीव पदे या कार्यालयांच्या पूर्व परवानगीशिवाय भरण्यांत येवू नयेत. सदरहू पदे या कार्यालयांच्या मान्यतेशिवाय भरलीत तर सदरहू पदांच्या वेतन व संपूर्ण सेवा याबाबत महाविद्यालय प्रशासन, संस्था व नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.</u>**

| | | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|
| ०१ | प्राचार्य | १ | १ | ० |
| ०२ | अधिव्याख्याते | ३६ | २४ | १२ |
| ०३ | ग्रंथपाल | १ | १ | ० |
| ०४ | शा.शि.संचालक | १ | १ | ० |
| ०५ | अर्धवेळ शिक्षक | ० | ० | ० |
| | एकूण | ३९ | २७ | १२ |
| ०१ | तासिका तत्वावरील पदे | २ सीएचबी ४१ ता. शि. | | २ सीएचबी ४१ ता. शि. |

अ) मंजूर पदांचा तपशिल.

| अ.क्रं. | सहाय्यक प्राध्यापक | सहयोगी प्राध्यापक | प्राध्यापक | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सरळसेवा | पदोन्नती |
| १ | १९ | ८ | ० | ० |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयातील वरीलप्रमाणे जादा पद/पूर्वीच्या पदास खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती देण्यात येत आहे.

आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भातील न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे. कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादेत आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे जादा पदे/पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती ककविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भीय न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकडया/विषय निहाय विद्‍यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.

२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/ टयुटोरियल (पाठयनिर्देशन) / प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरीता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरूरीचे आहे.

३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखेतील प्रथम वर्ष व तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमाण २०,१६,१२ व २०,२०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.

४. विषयनिहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षांत वेळाप्रत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिका पर्यंत कार्यभार अपूरा असणा-या अधिव्याख्यात्याना कमी पडणार कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसलेल्या त्याच विषयांचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे. तथापि, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विनाअनुदानित विभागाकडील कार्यभार दाखवून वेतन अनुदान घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

५. सदरहू पदावरील नियुक्त्या ही प्रचलित असलेल्या युजीसीच्या अधिसुचना / शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यांत याव्यात.

६. विषयाची/ विद्याशाखेची / तुकडीची किमाण विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार असावी.

७. सर्व संबंधीत विषय / तुकडया १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे/ आदेश महाविद्यालयांकडे उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे.

८. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदान पात्र कार्यभार कमी झालेस त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यांत येईल.

९. नविन पदावरील नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरीक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचालनालाच्या स्तरावरून प्राप्त करून घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३.०२.२०००, दि.१६.०६.२००० व दि.२७.०६.२०१३ नुसार प्राप्त नसलेल्या (नेट/सेट/ पी.एच.डी.) परिक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेंद्वारांची भरती करणेस बंदी आहे. अश्या नेमणूका तासिका तत्वावरती गणल्या जातील. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकांस ०७ तासिकेपेक्षा जादा तासिका प्रतिआठवडा व २१० तासिका प्रतिवर्ष पेक्षा जास्त देवू नयेत पेक्षा जास्त दिल्यास तो अनुदान निर्धारण समयी अमान्य करण्यांत येईल. वाढीव पदे भरण्यांसदर्भांत संचालनालय किंवा या कार्यालयांकडून मान्यता घेतल्याखेरीज पदे भरण्यांत येवू नयेत अन्यथा सदरहू पदांच्या वेतन व तदअनुषंगीक बांबींविषयी सर्वस्वी जबाबदार नियुक्ती प्राधिकारी/ महाविद्यालय प्रशासन/ प्राचार्य/ संस्था राहील.

सदरहू पदावरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटींची पुर्तता होत असल्यास या कार्यालयांकडून अनुदानकरीता मान्य ठरविण्यांत येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.

**विभागीय सहसंचालक,**
**उच्च शिक्षण,**
**कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर**

---ooOoo---

महाराष्ट्र शासन

# विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४१६ ००४

Email:-jdhekop@gmail.com Web Site – www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००


जा.क्रं.विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०१६-१७/

दि. १०/१२/२०१६.

## पदमान्यता सन २०१६-१७

प्रति,
**मा. प्राचार्य,**
आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर ( बुर्ली )
ता. पलूस जि. सांगली

**विषय :- दि.०१.१०.२०१६ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षकेत्तर पदांना मान्यता देणेबाबत...**

**संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्रं.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.**
**२. आपलेकडील पत्र क्रं...... दि. /   / २०१६.**

शासन आदेश क्रंमांक एनजीसी/१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ दि.२२.०२.१९८० मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालया कडील अनुदानप्राप्त विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे. असे कर्मचारी वर्ग मंजूर ग्राहय धरून खालील प्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यांत येत आहे.

| गट | पदनांम | मंजूर पदे | | भरलेली पदे | | रिक्त पदे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृती बंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार शै. व. २९१६-२०१७ | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृती बंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृती बंधानुसार शै. व. २९१६-२०१७ | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृती बंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृती बंधानुसार शै. व. २९१६-२०१७ |
| ब | प्रबधंक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अ) एकूण - ब | | १० | ११ | ८ | ८ | २ | ३ |
| क | .अधिक्षक | १ | १ | १ | १ | | |
| | मुख्य लिपीक | १ | १ | १ | १ | | |
| | लघुलेखक (वरीष्ठ) | ० | ० | ० | ० | | |
| | लघुलेखक (क) | ० | ० | ० | ० | | |
| | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | २ | २ | ० | ० |
| | कनिष्ठ लिपीक | ३ | ३ | २ | २ | ० | ० |
| | ग्रंथालय लिपीक | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| | प्रयोगशाळा सहाय्यक | २ | ३ | १ | १ | ० | ० |
| ब ) एकूण गट- क | | १४ | २० | १३ | १३ | १ | २ |
| ड | प्रयोगशाळा परिचर | ७ | ११ | ६ | ६ | १ | ०७ |
| | ग्रंथालय परिचर | ३ | ४ | ३ | ३ | १ | ५ |
| | शिपाई | ४ | ५ | ४ | ४ | ० | १ |
| | तात्रिक | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| | समन्वयक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| क) एकूण – ड | | ० | ०० | ० | ० | ० | ० |
| | तबलजी | ० | ०० | ० | ० | ० | ० |
| | भांडारपाल | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | सहाय्यक | ० | ०० | ० | ० | ० | ० |
| | | | | | | ० | ० |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रंथपाल | | | | | | |
| | लेखापाल | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ख ) | | | | | | | |
| **अ,ब,क व ख ची एकूण** | | **२४** | **३१** | **२१** | **२१** | **३** | **१०** |

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|---|---|---|
| वरीष्ठ विभाग | ७७९ | २७१ |
| कनिष्ठ विभाग | ४३८ | १६५ |
| पदव्युत्तर विभाग | ० | ० |
| एकूण | १२१७ | ४३६ |

वरील प्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे १०० बिंदु-नामावली प्रमाणे व ५० बिंदु-नामावली प्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा/ प्रमाणसहिंता/ वेळोवेळी शासनाकडून दिले जाणारे शासन निर्णय, शासन आदेश, शासन परिपत्रक , संचालनालयाकडील व या कार्यालयांकडील आदेशान्वये भरण्यांत यावेत. सन १९९८-९९ नंतर मंजूर केलेल्या नविन पदांवरती नियुक्ती करण्यांपूर्वी अतिरीक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त करून दयावी किंवा संस्थेच्या स्तरावर अतिरीक्त ठरणाऱ्या / ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना समावून घेण्यांत यावे. तसेच नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयांची मान्यता घेवूनच वेतन अदा करण्यांत यावे. त्यामुळे अनुदान निर्धारण समयी वेतन अमान्य होणार नाही.

विनाअनुदानित विद्यार्थी संख्येचा समावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळूण आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदांचा आकृतिबंध रद्द समजण्यांत येईल. शासन निर्णय दि.०१.०३.२००० व दि.२९.०६.२००० अन्वये नविन पदे निर्मिती तसेच सेवानिवृत्ती / स्वेच्छानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इ. मुळे रिक्त असलेली पदे भरण्यांस बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भरण्यांत येवू नयेत. अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरण्यांत येणार नाही. अशा प्रकारच्या अनियमिततेस सर्वस्वी महाविद्यालय प्रशासन / प्राचार्य / संस्था / नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.

विभागीय सहसंचालक,<br>उच्च शिक्षण,<br>कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर

---००0००---

महाराष्ट्र शासन

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण,कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

Email:-jdhekop@gmail.com

फो.नं. :- (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५...

जा.क्र./विसहसं/उशि/कोवि/पद.कॉम्प/२०१७-१८/ 166 दिनांक : 9 JAN 2019

प्रति,

प्राचार्य,

आर्टस् सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज,

रामानंदनगर (बुर्ली)

विषय- दि. १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारानर शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची अनुज्ञेयता.

संदर्भ -

१ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ /२५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
२ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५१८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
४ शासन निर्णय बीजीटी/१०९७/प्र.क्र.२४/ अ/अर्थसकल्प-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
६ शासन निर्णय क्र. युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४
७ शासन निर्णय क्र. एनजीसी/२२९९/(४७९५)/ विशि-४ दि. २६-८-१९९९
८ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
१० शासन निर्णय एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
११ शासन परिपत्रक. एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
१२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.
१३ शासन निर्णय क्र. अतावा- १५१३/ प्र क्र १२५/ मशि-५ दि. ३-११-२०१७
१४ प्राचार्य , ----------------------यांचे पत्र क्र.--------------------दिनांक -----------

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला .

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करुन खालील अटिच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयतील शिक्षकीय पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

शिक्षकीय पदे

प्रपत्र अ

| अ. नं. | विषय / पदे | २०१७-१८ चा एकूण कार्यभार | २०१७-१८ ची अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ ची भरलेली पदे | २०१७-१८ ची रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | प्राचार्य | ४ | १ | १ | ० | |
| २ | ग्रंथपाल | १ | १ | १ | ० | - |
| ३ | शा.शि.संचालक | १ | १ | १ | ० | |
| | | | | | ० | |
| १ | इंग्रजी | ६८ | ३ | २ | १ | |
| २ | मराठी | ४० | २ | १ | १ | |
| ३ | हिंदी | ३६ | २ | १ | १ | |
| ४ | संस्कृत/सिंधी/ पाली | ० | ० | ० | ० | |
| ५ | पर्शियन /जर्मन | ० | ० | ० | ० | |
| ६ | उर्दु/इस्लामिक स्टडीज | ० | ० | [illegible] | ० | |

Arts, Science & Commerce College,
Ramanandnagar (Burli)
11.15 am
Inward No. 1883

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | इतिहास | ४० | २ | २ | ० | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५२ | ३ | २ | १ | |
| ९ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ | २ | ० | |
| १० | तत्वज्ञान | ० | ० | ० | ० | |
| ११ | भूगोल | ५२ | ३ | १ | २ | |
| १२ | मानसशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १३ | समाजशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १४ | रसायनशास्त्र | १३१ | ७ | २ | ५ | |
| १५ | पदार्थविज्ञान | ९१ | ४ | २ | २ | |
| १६ | वनस्पतीशास्त्र | ५५ | २ | १ | १ | |
| १७ | प्राणीशास्त्र | ८७ | ४ | ३ | १ | |
| १८ | सूक्ष्म जीवशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १९ | जीवरसायन शास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २० | जीवशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २१ | संख्या शास्त्र | ३१ | १ | १ | ० | |
| २२ | वाणिज्य | ३६ | २ | १ | १ | |
| २३ | लेखाशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २४ | संख्याशास्त्र वाणिज्य | ४ | ० | ० | ० | १ सी.एच.बी. |
| २५ | गणित | ४७ | १ | ० | १ | |
| २६ | बीझनेस इकॉनॉमिक्स | ० | ० | ० | ० | |
| २७ | बीझनेस लॉ | ४ | ० | ० | ० | १ सी.एच.बी. |
| २८ | पर्यावरण शास्त्र /एफ.सी | १२ | ० | ० | ० | १ सी.एच.बी. |
| २९ | ग्रामीण विकास | ० | ० | ० | ० | |
| ३० | पायाभुत अभ्यास | ० | ० | ० | ० | |
| ३१ | इतर | ० | ० | ० | ० | |
| ३२ | | | | | | |
| | एकूण | | ४१ | २४ | १७ | |

Regional Joint Director
(Higher Education)
Kolhapur Region, Kolhapur.

## प्रपत्र ब -शिक्षकेत्तर पदे

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.

| अक्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय | १२९२ |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय | ४४६ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ८४६ |
| | एकूण | १२९२ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या | ४७२ |

संवर्गनिहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी

| अक्र | पदनाम | २०१७-१८ अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ भरलेली पदे | २०१७-१८ रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रबंधक | ० | ० | ० | - |
| २ | अधिक्षक | १ | १ | ० | - |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | - |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | - |
| ५ | सहा. ग्रंथपाल | ० | ० | ० | - |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | ० | - |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | ३ | २ | १ | - |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ३ | १ | २ | - |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | १ | १ | ० | - |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ५ | ३ | २ | - |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | १२ | ५ | ७ | - |
| १२ | शिपाई | ६ | ४ | २ | - |
| | एकूण | ३४ | १९ | १५ | - |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे

१ प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तुकड्या / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन परिगणीत होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.

२ महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तुकडया/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी अनिवार्य आहे.

३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात यावी.

४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहील.

५ व्याख्याने / प्रात्यक्षिके/ टयूटोरियल ( पाठनिदेशन), प्रोजेक्ट वर्क ( प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहीत केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.

६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदांनुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहीत प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.

८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय यांची राहील.

९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

### शासन मान्यता पात्र विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकडी व त्यातील विद्यार्थी संख्या

| अक्र | विद्याशाखा निहाय वर्ग | वर्ष २०१७-२०१८ | |
|---|---|---|---|
| | | तुकड्या | विद्यार्थी संख्या |
| १ | **कला शाखा** | | |
| | ११ वी | १ | ६६ |
| | १२ वी | १ | ६४ |
| | बी.ए. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | २ | २०६ |
| | बी.ए. द्वितीय वर्ष ( भाग -२ ) | १ | ८३ |
| | बी.ए. तृतीय वर्ष ( भाग -३ ) | १ | ७८ |
| | **एकूण** | ६ | ४९७ |
| २ | **वाणिज्य शाखा** | | |
| | ११ वी | १ | ७८ |
| | १२ वी | १ | ६७ |
| | बी.कॉम. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | १ | ७२ |
| | बी.कॉम. द्वितीय वर्ष ( भाग -२ ) | १ | ५७ |
| | बी.कॉम. तृतीय वर्ष ( भाग -३ ) | १ | ४९ |
| | **एकूण** | ५ | ३२३ |
| ३ | **विज्ञान शाखा** | | |
| | ११ वी | १ | ९४ |
| | १२ वी | १ | ७७ |
| | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | १ | १२० |
| | बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष ( भाग -२ ) | १ | ११३ |
| | बी. एस्सी. तृतीय वर्ष ( भाग -३ ) | १ | ६८ |
| | **एकूण** | ५ | ४७२ |
| ४ | **अनु क्रमांक १, २ व ३ ची बेरीज** | १६ | १२९२ |
| ५ | **पदव्यूत्तर विभाग अनुदानित ( शासकीय मान्यता असल्यास)** | | |
| | प्रथम वर्ष | ० | ० |
| | द्वितीय वर्ष | ० | ० |
| | **एकूण** | ० | ० |

**विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण**
**कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर**

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Email:-jdhekop@gmail.com
फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्र. विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०२०/ दिनांक :-

प्रति,
प्राचार्य,
आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज,
रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

विषय - दि. १-१०-२०१८ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची अनुज्ञेयता

संदर्भ - १ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ /२५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
२ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
४ शासन निर्णय बीजीटी/१०९७/प्रक्र.२४/ अ/अर्थसंक्लप-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र .२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
६ शासन निर्णय युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४
७ शासन निर्णय क्रएनजीसी/२२९९/(४७९५)/ विशि-४ दि. २६-८-१९९९
८ शासन निर्णय असक-१००१, प.क्र २९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग- ६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
१० शासन निर्णय एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र .१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
११ शासन परिपत्रक एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
१२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.
१३ शासन निर्णय क्र अढावा- १५१३/ प्र.क्र १२५/ मशि-५ दि. ३-११-२०१८
**१४ प्राचार्य , यांचे पत्र. क्र ७१२/२०२०-२१ दिनांक २२/०३/२०२१**

उपरोक्त विषयान्चये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१९ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला .

## शासन मान्यता पात्र विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकडी व त्यातील विद्यार्थी संख्या

| अ.क्र | विद्याशाखा निहाय वर्ग | वर्ष २०१८-१९ | | वर्ष २०१८-१९ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुदानित | | विनाअनुदानित | |
| | | तुकडया | विद्याथी संख्या | तुकडया | विद्याथी संख्या |
| १ | **कला शाखा** | | | | |
| | ११ वी | १ | ५५ | | |
| | १२ वी | १ | ६७ | | |
| | बी.ए. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | २ | १६२ | ० | ० |
| | बी.ए. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | १०८ | ० | ० |
| | बी.ए. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ७५ | ० | ० |
| | **एकूण** | **४** | **३४५** | **०** | **०** |
| २ | **वाणिज्य शाखा** | | | | |
| | ११ वी | १ | ६३ | | |
| | १२ वी | १ | ६९ | | |
| | बी.कॉम. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | १ | ७३ | ० | ० |
| | बी.कॉम. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ३६ | ० | ० |
| | बी.कॉम. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ३९ | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **१४८** | **०** | **०** |

पान नं. २ वर

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | विज्ञान शाखा | | | | | |
| | ११ वी | | १ | ६० | | |
| | १२ वी | | १ | ८१ | | |
| | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | | १ | १०८ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | | १ | १२१ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | | १ | ९१ | ० | ० |
| | एकूण | | ३ | ३२० | ० | ० |
| ४ | अनु क्रमाक १, २ व ३ ची बेरीज | | १० | ८१३ | ० | ० |
| ५ | पदव्यूत्तर विभाग अनुदानित ( शासकीय मान्यता असल्यास) | | | | | |
| | प्रथम वर्ष एम.कॉम | | ० | ० | ० | ० |
| | द्वितीय वर्ष | | ० | ० | ० | ० |
| | एकूण | | ० | ० | ० | ० |

पान नं. ३ वर

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून पान क्र. ४ वरील अटींच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयतील शिक्षक/शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

## शिक्षकीय पदे

### प्रपत्र अ

| अ. न. | विषय / पदे | २०१८-१९ चा एकूण कार्यभार | २०१८-१९ ची अनुज्ञेय पदे | | २०१८-१९ ची भरलेली पदे | | २०१८१९ ची रिक्त पदे | | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | | ५ | | ६ | | ७ |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| २ | ग्रंथपाल | ४२ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ३ | शा.शि.संचालक | ४२ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ४ | इंग्रजी | ६८ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ५ | मराठी | ३६ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ६ | हिंदी | ३६ | २ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ७ | इतिहास | ४० | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५२ | ३ | पूर्णवेळ | ३ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ९ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| १० | भूगोल व एस.एम. | ५६ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ११ | रसायनशास्त्र | १४३ | ७ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | ५ | पूर्णवेळ | |
| १२ | पदार्थविज्ञान | ८७ | ४ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १३ | वनस्पतीशास्त्र | ५५ | ३ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १४ | प्राणीशास्त्र | १०७ | ५ | पूर्णवेळ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १५ | संख्या शास्त्र | २७ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| १६ | वाणिज्य | ३६ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| १७ | संख्या शास्त्र | ४ | | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| १८ | गणित | ३५ | २ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १९ | बीझनेस लॉं | ४ | | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| २० | इतर | ० | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| | एकूण | ८२२ | ४४ | पूर्णवेळ | २६ | पूर्णवेळ | १८ | पूर्णवेळ | |

### प्रपत्र ब -शिक्षकेत्तर पदे

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.
त्या आधारे अनुज्ञेय पदे खालील प्रमाणे

| अ.क्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय (संच मान्यतेप्रमाणे) | ३९५ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ८१३ |
| | एकूण | १२०८ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्याथी संख्या (ज्युनि. १४१+सिनि. ३२०) | ४६१ |

पान नं. ४ वर

संवर्ग निहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी

| अ.क्र | पदनाम | २०१८-१९ अनुज्ञेय पदे | २०१८-१९ भरलेली पदे | २०१८-१९ रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रबंधक | ० | ० | ० | |
| २ | अधिक्षक | १ | १ | ० | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | |
| ५ | सहा. ग्रंथपाल | ० | ० | ० | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | ० | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | ३ | २ | १ | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ३ | २ | १ | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | १ | १ | ० | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ४ | २ | २ | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | १२ | ५ | ७ | |
| १२ | शिपाई | ५ | ३ | २ | |
| | एकूण | ३२ | १८ | १४ | |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे

१ प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तकडया / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सादर केल्यानुसार परिगणित होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.

२ महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तकडया/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी प्राचार्यांनी प्रमाणित केल्यानुसार ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी सख्या विचारात घेण्यात येते.

४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी सख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहील.

५ व्याख्याने/ प्रात्यक्षिके/ टयूटोरियल ( पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क ( प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहीत केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.

६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदानुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहीत प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.

७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसख्या कमी होईल याची नोंद घ्यावी.

८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय प्राचार्य यांची राहील.

९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारानुसार आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

१० आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी बिंदूनामावली (मावक) कडून प्रमाणित असल्याशिवाय नविन भरती करता येणार नाही.

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Email:-jdhekop@gmail.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्र. विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०२०/ दिनांक :-

प्रति,
प्राचार्य,
आर्टस, सायन्स अँण्ड कॉमर्स कॉलेज,
रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

विषय - दि. १-१०-२०१९ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची अनुज्ञेयता

संदर्भ - १ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ /२५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
२ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
४ शासन निर्णय बीजीटी/१०९७/प्रक्र.२४/ अ/अर्थसंकलप-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र .२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
६ शासन निर्णय युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४
७ शासन निर्णय क्रएनजीसी/२२९९/(४७९५)/ विशि-४ दि. २६-८-१९९९
८ शासन निर्णय असक-१००१, प.क्र २९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग- ६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
१० शासन निर्णय एसआरव्ही-२००७/प्र.क .१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
११ शासन परिपत्रक एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
१२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.
१३ शासन निर्णय क्र अव्रावा- १५१३/ प्र.क्र १२५/ मशि-५ दि. ३-११-२०१८
**१४ प्राचार्य , यांचे पत्र. क्र ७१२/२०२०-२१ दिनांक २२/०३/२०२१**

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१९ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला .

## शासन मान्यता पात्र विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकडी व त्यातील विद्यार्थी संख्या

| अ.क्र | विद्याशाखा निहाय वर्ग | वर्ष २०१९-२० | | वर्ष २०१९-२० | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुदानित | | विनाअनुदानित | |
| | | तुकडया | विद्याथी संख्या | तुकडया | विद्याथी संख्या |
| १ | **कला शाखा** | | | | |
| | ११ वी | १ | ६१ | | |
| | १२ वी | १ | ५४ | | |
| | बी.ए. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | २ | १०१ | ० | ० |
| | बी.ए. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ५६ | ० | ० |
| | बी.ए. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ८२ | ० | ० |
| | **एकूण** | **४** | **२३९** | **०** | **०** |
| २ | **वाणिज्य शाखा** | | | | |
| | ११ वी | १ | ५३ | | |
| | १२ वी | १ | ६२ | | |
| | बी.कॉम. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | १ | ७३ | ० | ० |
| | बी.कॉम. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ३९ | ० | ० |
| | बी.कॉम. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ३४ | ० | ० |
| | **एकूण** | **३** | **१४६** | **०** | **०** |

पान नं. २ वर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ | विज्ञान शाखा | | | | |
| | ११ वी | १ | ८६ | | |
| | १२ वी | १ | ५६ | | |
| | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | १ | ८६ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ६१ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ११० | ० | ० |
| | एकूण | ३ | २५७ | ० | ० |
| ४ | अनु क्रमांक १, २ व ३ ची बेरीज | १० | ६४२ | ० | ० |
| ५ | पदव्यूत्तर विभाग अनुदानित ( शासकीय मान्यता असल्यास) | | | | |
| | प्रथम वर्ष एम.कॉम | ० | ० | ० | ० |
| | द्वितीय वर्ष | ० | ० | ० | ० |
| | एकूण | ० | ० | ० | ० |

पान नं. ३ वर

शारानाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून पान क्र. ४ वरील अटींच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयतील शिक्षक/शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

**शिक्षकीय पदे**

**प्रपत्र अ**

| अ. न. | विषय / पदे | २०१९-२० चा एकूण कार्यभार | २०१९-२० ची अनुज्ञेय पदे | २०१९-२० ची मरलेली पदे | २०१९-२० ची रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| २ | ग्रंथपाल | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ३ | शा.शि.संचालक | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ४ | इंग्रजी | ६४ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ५ | मराठी | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ६ | हिंदी | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ७ | इतिहास | ४० | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ९ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| १० | भूगोल व एस.एम. | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ११ | रसायनशास्त्र | १४३ | ७ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | ५ पूर्णवेळ | |
| १२ | पदार्थविज्ञान | ६७ | ३ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | |
| १३ | वनस्पतीशास्त्र | ४७ | २ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | |
| १४ | प्राणीशास्त्र | ९९ | ५ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | |
| १५ | संख्या शास्त्र | २७ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १६ | वाणिज्य | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| १७ | संख्या शास्त्र | ४ | पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| १८ | गणित | २३ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १९ | बीझनेस लॉ | ४ | पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| २० | इतर | ० | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| | एकूण | ७६६ | ४१ पूर्णवेळ | २३ पूर्णवेळ | १८ पूर्णवेळ | |

**प्रपत्र ब -शिक्षकेत्तर पदे**

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे. त्या आधारे अनुज्ञेय पदे खालील प्रमाणे

| अ.क्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय (संच मान्यतेप्रमाणे) | ३७२ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ६४२ |
| | एकुण | १०१४ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या (ज्युनि. १४२+सिनि. २५७) | ३९९ |

पान नं. ४ वर

संवर्ग निहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी

| अ.क्र | पदनाम | २०१९-२० अनुज्ञेय पदे | २०१९-२० भरलेली पदे | २०१९-२० रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रबंधक | ० | ० | ० | |
| २ | अधिक्षक | १ | १ | ० | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | |
| ५ | सहा. ग्रंथपाल | ० | ० | ० | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | ० | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | ३ | २ | १ | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ३ | १ | २ | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | १ | ० | १ | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ४ | २ | २ | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | १० | ५ | ५ | |
| १२ | शिपाई | ५ | ३ | २ | |
| | एकूण | ३० | १६ | १४ | |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे

१ प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तकडया / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सादर केल्यानुसार परिगणित होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.

२ महाविद्यालयान पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तकडया/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी प्राचार्यांनी प्रमाणित केल्यानुसार ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात येते.

४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहील.

५ व्याख्याने/ प्रात्यक्षिके/ टयूटोरियल ( पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क ( प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहीत केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.

६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदानुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहीत प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.

७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी होईल याची नोंद घ्यावी.

८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय प्राचार्य यांची राहील.

९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदावरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

१० आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी बिंदूनामावली (मावक) कडून प्रमाणित असल्याशिवाय नविन भरती करता येणार नाही.

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून पान क्र. ४ वरील अटींच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयतील शिक्षक/शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

**शिक्षकीय पदे**

**प्रपत्र अ**

| अ. न. | विषय / पदे | २०१९-२० चा एकूण कार्यभार | २०१९-२० ची अनुज्ञेय पदे | | २०१९-२० ची भरलेली पदे | | २०१९-२० ची रिक्त पदे | | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | | ५ | | ६ | | ७ |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| २ | ग्रंथपाल | ४२ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ३ | शा.शि.संचालक | ४२ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ४ | इंग्रजी | ६४ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ५ | मराठी | ३६ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ६ | हिंदी | ३६ | २ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| ७ | इतिहास | ४० | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५२ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ९ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| १० | भूगोल व एस.एम. | ५२ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| ११ | रसायनशास्त्र | १४३ | ७ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | ५ | पूर्णवेळ | |
| १२ | पदार्थविज्ञान | ६७ | ३ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १३ | वनस्पतीशास्त्र | ४७ | २ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १४ | प्राणीशास्त्र | ९९ | ५ | पूर्णवेळ | ३ | पूर्णवेळ | २ | पूर्णवेळ | |
| १५ | संख्या शास्त्र | २७ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| १६ | वाणिज्य | ३६ | २ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | |
| १७ | संख्या शास्त्र | ४ | | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| १८ | गणित | २३ | १ | पूर्णवेळ | १ | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| १९ | बीझनेस लॉ | ४ | | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | १ सी.एच.बी. |
| २० | इतर | ० | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | ० | पूर्णवेळ | |
| | एकूण | ७६६ | ४१ | पूर्णवेळ | २३ | पूर्णवेळ | १८ | पूर्णवेळ | |

**प्रपत्र ब -शिक्षकेत्तर पदे**

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.

त्या आधारे अनुज्ञेय पदे खालील प्रमाणे

| अ.क्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय (संच मान्यतेप्रमाणे) | ३७२ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ६४२ |
| | एकूण | १०१४ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या (ज्युनि. १४२+सिनि. २५७) | ३९९ |

पान नं. ४ वर

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Email:-jdhekop@gmail.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४ फॅक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्र. बिससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०२०/ दिनांक :-

प्रति,
प्राचार्य,
आर्टस, सायन्स अॅण्ड कॉमर्स कॉलेज,
रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

विषय - दि. १-१०-२०२० च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारोवर शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची अनुज्ञेयता

संदर्भ - १ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ /२५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
२ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
४ शासन निर्णय बीजीटी/१०९७/प्रक्र.२४/ अ/अर्थसंक्लप-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र .२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
६ शासन निर्णय युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४
७ शासन निर्णय क्रएनजीसी/२२९९/(४७९५)/ विशि-४ दि. २६-८-१९९९
८ शासन निर्णय असक-१००१, प.क्र २९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग- ६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
१० शासन निर्णय एसआरव्ही २००७/प्र.क्र .१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
११ शासन परिपत्रक एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
१२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.
१३ शासन निर्णय क्र अढावा- १५१३/ प्र.क्र १२५/ मशि-५ दि. ३-११-२०१८
१४ प्राचार्य , यांचे पत्र. क्र विनांक

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१९ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला .

## शासन मान्यता पात्र विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकडी व त्यातील विद्यार्थी संख्या

| अ.क्र | विद्याशाखा निहाय वर्ग | वर्ष २०२०-२१ | | वर्ष २०२०-२१ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुदानित | | विनाअनुदानित | |
| | | तुकडया | विद्याथी संख्या | तुकडया | विद्याथी संख्या |
| १ | कला शाखा | | | | |
| | ११ वी | १ | ५२ | | |
| | १२ वी | १ | ५४ | | |
| | बी.ए. प्रथम वर्ष ( भाग -१ ) | २ | १०९ | ० | ० |
| | बी.ए. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ८० | ० | ० |
| | बी.ए. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ७१ | ० | ० |
| | एकूण | ४ | २६० | ० | ० |
| २ | वाणिज्य शाखा | | | | |
| | ११ वी | १ | ४२ | | |
| | १२ वी | १ | ४७ | | |
| | बी.कॉम. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | १ | ६७ | ० | ० |
| | बी.कॉम. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ६५ | ० | ० |
| | बी.कॉम. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ३९ | ० | ० |
| | एकूण | ३ | १७१ | ० | ० |

पान नं. २ वर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ | विज्ञान शाखा | | | | |
| | ११ वी | १ | ६९ | | |
| | १२ वी | १ | ८७ | | |
| | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ( भाग-१ ) | १ | ६२ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष ( भाग-२ ) | १ | ८८ | ० | ० |
| | बी. एस्सी. तृतीय वर्ष ( भाग-३ ) | १ | ७४ | ० | ० |
| | एकूण | ३ | २२४ | ० | ० |
| ४ | अनु क्रमाक १, २ व ३ ची बेरीज | १० | ६५५ | ० | ० |
| ५ | पदव्यूत्तर विभाग अनुदानित ( शासकीय मान्यता असल्यास) | | | | |
| | प्रथम वर्ष एम.कॉम | ० | ० | ० | ० |
| | द्वितीय वर्ष | ० | ० | ० | ० |
| | एकूण | ० | ० | ० | ० |

पान नं. ३ वर

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून पान क्र. ४ वरील अटींच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

**शिक्षकीय पदे**

**प्रपत्र अ**

| अ. न. | विषय / पदे | २०२०-२१ चा एकूण कार्यभार | २०२०-२१ ची अनुज्ञेय पदे | २०२०-२१ ची भरलेली पदे | २०२०-२१ ची रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| २ | ग्रंथपाल | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ३ | शा.शि.संचालक | ४२ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ४ | इंग्रजी | ६४ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ५ | मराठी | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ६ | हिंदी | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| ७ | इतिहास | ४० | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ९ | राज्यशास्त्र | ३६ | २ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | |
| १० | भूगोल व एस.एम. | ५२ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| ११ | रसायनशास्त्र | १२७ | ७ पूर्णवेळ | ७ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १२ | पदार्थविज्ञान | ६३ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १३ | वनस्पतीशास्त्र | ५१ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| १४ | प्राणीशास्त्र | १०३ | ५ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | |
| १५ | संख्या शास्त्र | २३ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १६ | वाणिज्य | ३६ | २ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | |
| १७ | संख्या शास्त्र | ४ | पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | सी.एच.बी. |
| १८ | गणित | २३ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| १९ | बीझनेस लॉ | ४ | पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | सी.एच.बी. |
| २० | इतर | ० | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | ० पूर्णवेळ | |
| | एकूण | ७५० | ४१ पूर्णवेळ | ३० पूर्णवेळ | ११ पूर्णवेळ | |

**प्रपत्र ब -शिक्षकेत्तर पदे**

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे. त्या आधारे अनुज्ञेय पदे खालील प्रमाणे

| अ.क्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय (संच मान्यतेप्रमाणे) | ३५१ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ६५५ |
| | एकूण | १००६ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या (ज्युनि. १५६+सिनि. २२४) | ३८० |

पान नं. ४ वर

संवर्ग निहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी

| अ.क्र | पदनाम | २०२०-२१ अनुज्ञेय पदे | २०२०-२१ भरलेली पदे | २०२०-२१ रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रबंधक | ० | ० | ० | |
| २ | अधिक्षक | १ | १ | ० | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | |
| ५ | राहा. ग्रंथपाल | ० | ० | ० | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | २ | २ | ० | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | ३ | २ | १ | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | २ | १ | १ | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | १ | ० | १ | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ४ | २ | २ | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | ९ | ४ | ५ | |
| १२ | शिपाई | ५ | ३ | २ | |
| | एकूण | २८ | १५ | १३ | |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे

१ प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तकडया / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सादर केल्यानुसार परिगणित होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.

२ महाविद्यालयान पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तकडया/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी प्राचार्यांनी प्रमाणित केल्यानुसार ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी सख्या विचारात घेण्यात येते.

४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी सख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहील.

५ व्याख्याने/ प्रात्यक्षिके/ टयूटोरियल ( पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क ( प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहीत केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.

६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदानुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहीत प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.

७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसख्या कमी होईल याची नोंद घ्यावी.

८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय प्राचार्य यांची राहील.

९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

१० आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी बिंदूनामावली (मावक) कडून प्रमाणित असल्याशिवाय नविन भरती करता येणार नाही.

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर